राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़
जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646
फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांकः–प.1/विजा/स्था0/2018/3879 दिनांक 9/08/2018

:– आदेश :–

श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर को ज्ञापन क्रमाक 2961 दिनांक 04.10.17 से राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस जारी किया जाकर निम्न प्रकार आरोपित किया गया था।

आरोप संख्या 1. – यह कि आपको इस कार्यालय के आदेश क्रमांक सहा./17/2346 दिनांक 18.09.17 एवं पत्रांक सहायता/फसल खराबा/2017/ 2342 दि. 18.09.17 से निर्देशित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा खरीफ फसल 2016 (संवत 2073) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर आपकी तहसील क्षेत्र के अभावग्रस्त धोषित ग्रामो मे 50 प्रतिशत से अधिक खराबे वाले 2 हेक्टेयर तक भूमिधारकों की सूची तैयार कर तत्काल उपलब्ध कराने हेतु आपको निर्देशित किया गया था।

आपके द्वारा आपदा प्रबंधन एंव सहायता विभाग के निर्देशानुसार उपलब्ध कराई गई सूचियों मे काश्तकार के बैंक खाता संख्या, बैक शाखा का नाम, आईएफसी कोड संख्या एवं अन्य विवरण उपलब्ध नही होने से काश्तकारो को मुआवजा राशि का भुगतान समय पर नही हो सका। इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य मे लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 2. – यह कि आपको उक्त संबंध में कारण बताओं नोटिस क्रमांक सहायता/नोटिस/2017/2418 दिनांक 25.09.17 जारी कर उक्त सूचना तत्काल एवं नोटिस का जवाब तीन दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु आपके द्वारा न तो वांछित सूचना संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराई गई, न ही इस संबंध में अपना स्पष्टिकरण प्रस्तुत किया है। जिसके लिए आपको आरोपित किया जाता है।

उक्त आरोपो के क्रम मे श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर ने लिखित जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया :–

1– तहसील खानपुर मे 50 प्रतिशत से अधिक खराबे वाले कुल काश्तकार 7703 राशि रू0 102015904/– के मुकाबले 6063 कृषको को राशि रू0 82257884/– का भुगतान किया जा चुका है शेष मे से अधिकतर कृषक के तहसील क्षेत्र के बाहर अन्यत्र निवास करने व खाता नम्बर प्राप्त नही होने से भुगतान नही हुआ है फिर भी और अधिक सक्रिय प्रयास कर भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है ।

2– राजकार्य मे व्यस्तता के कारण समय पर जवाब प्रस्तुत नही हो सका ।

हमारे द्वारा श्री वर्मा के द्वारा प्रस्तुत जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया, श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर के प्रकरण मे सहानूभूतिपूर्वक विचार कर भविष्य मे कार्य विशेष सतर्कता एव तत्परता से निर्धारित समयावधि मे पूर्ण करने की हिदायत के साथ प्रकरण मे कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

जिला कलक्टर
झालावाड

क्रमाक सम0/18/3880–80
दिनांक 9.08.2018

प्रतिलिपी निम्न को :–

1–उपखण्ड अधिकारी खानपुर
2–तहसीलदार खानपुर
3– श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर
4–व्यक्तिगत पत्रा0
5–रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
झालावाड